सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 120/सो.आ.नि.–318/14
दिनाँकः 06 जून, 2014

प्रेषक,

निदेशक, **अत्यन्त आवश्यक**
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा, इलाहाबाद, हरदोई, मिर्जापुर, बरेली, जालौन, कन्नौज, बहराइच, गौतमबुद्धनगर, रामपुर, मथुरा, देवरिया, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सुल्तानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, बाराबंकी, कासगंज, सीतापुर, हमीरपुर, वाराणसी, पीलीभीत, बलिया, कानपुर, ललितपुर, बस्ती, जौनपुर, फतेहपुर, शाहजहाँपुर, प्रतापगढ़, बदायूँ, बागपत, इटावा, लखनऊ, आगरा, बुलन्दशहर, गोरखपुर, झांसी, मऊ, गाजीपुर, मैनपुरी, फैजाबाद, सहारनपुर तथा रायबरेली।

विषयः जनपद स्तर पर सोशल आडिट टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण।

प्रिय महोदय,

वर्ष 2014–15 में जुलाई, 2014 से प्रदेश के जनपदों में विभिन्न ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट प्रारम्भ होगा। इस हेतु सोशल आडिट टीमों के सदस्यों को उनकी क्षमता विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ (SIRD) के आपके जनपद स्थित क्षेत्रीय/जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण विभिन्न बैचों में इस महीने आयोजित किया जा रहा है।

2– प्रशिक्षण में टीम सदस्य के रूप में 50 व्यक्तियों के प्रत्येक बैच में सामान्यतया 10 से 15 तक महिलाएं प्रतिभाग करती हैं और क्षेत्रीय/जनपदीय केन्द्र में रात्रि विश्राम भी करती हैं। टीम के इन सदस्यों का सोशल आडिट की प्रक्रिया से जुड़ने का यह पहला अवसर होता है।

3– आप सहमत होंगे कि सोशल आडिट के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के लिए उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि जिला विकास अधिकारी को यथासंसूचित कैलेण्डर के अनुसार, टीमों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुचारू रूप से सम्पन्न कराने तथा विशेष रूप से महिला प्रतिभागियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए अपने सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण केन्द्रों पर भ्रमण करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :–
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग—7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
3— आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5— सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी।
6— सम्बन्धित जनपदों के जिला विकास अधिकारी।

(शंकर सिंह)
निदेशक।